

## **ऋण से जुड़ी पात्र गतिविधियाँ / Eligible Activities linked to loan**

निम्नलिखित व्यापक गतिविधियाँ एमएससी के रूप में कार्य करने वाले मौजूदा पीओ और पैक्स/ पीसीएआरडीबी के लिए ऋण से जुड़ी अनुदान सहायता हेतु पात्र होंगी.

The following broad activities will be eligible for credit-linked grant support to existing POs and PACSs/PCARDBs operating as MSCs.

### **1. उत्पादक संगठन (पीओ)/ Producer Organizations (POs)**

#### **1.1 प्रशिक्षण / क्षमता निर्माण/ Training/ Capacity Building**

पीओडीएफ के तहत विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण पहलों को सहायता प्रदान की जा सकती है:

Various types of training and capacity building initiatives that could be supported under PODF are:

(i) कृषि और/ या कृषीत्तर क्षेत्र में, सदस्यों को वस्तुओं और पण्य (कमोडिटी) का उत्पादन करने में सक्षम बनाने हेतु कौशल विकास,

Skill development in order to enable the members produce goods and commodities, in farm and/ or off farm sector,

(ii) व्यावसायिक योजना/ Business planning

(iii) कक्षा में प्रशिक्षण के माध्यम से तकनीकी विस्तार/ Technological extension through classroom training,

(iv) एक्सपोजर दौरों, कृषि विश्वविद्यालयों/ तकनीकी संस्थाओं/ बिजनेस स्कूल, विशेषज्ञों की बैठकों, आदि के साथ गठबंधन.

Exposure visits, tie up with agricultural universities / technological institutions / business schools, expert meetings, etc.

(v) व्यवसाय सुगमीकरण/ उद्भवन (इन्क्यूबेशन) सेवाओं हेतु एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटर/ व्यवसायिक एजेंसियों के साथ गठबंधन.

Tie-up with agribusiness incubators/ professional agencies for business facilitation/incubation services

(vi) कोई अन्य क्षमता निर्माण पहलें जो पीओ को प्रत्यक्ष लाभ देती हैं.

Any other capacity building initiatives, which directly benefit the POs

## 1.2 मार्केट लिंकेज/ Market Linkage

(i) उपज/ आउटपुट की बिक्री हेतु विपणन आधारभूत सुविधाओं की स्थापना करना.

Setting up of marketing infrastructure facilities for sale of produce / output.

(ii) ग्रामीण हाट और ग्रामीण मार्ट की तर्ज पर खुदरा इकाई की स्थापना करना.

Setting up of retail unit on the lines of rural haat and rural mart.

(iii) उपज और पीओ के खरीददारों के बीच सुविधा विपणन ताल-मेल व्यवस्था.

Facilitating marketing tie-ups between buyers of produce and POs

(iv) उपयुक्त मार्केट लिंकेज के माध्यम से पीओ और उपभोक्ता कंपनियों/ खुदरा श्रृंखलाओं, आदि के बीच विदेशी भागीदारी.

Forging partnerships between POs and user companies /retail chains, etc. towards suitable market linkages.

(v) जहाँ भी संभव हो वहाँ आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के सृजन हेतु भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकार के विभागों, मिशन, आदि की योजनाओं के साथ अभिसरण का संवर्धन करना.

Promoting convergence with schemes of various Ministries of GoI, State Govt. Departments, Missions, etc., for creation of necessary infrastructure facilities, wherever possible.

## 1.3 अन्य प्रयोजन/ Other purposes

### (i) विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी/ DPR Preparation

ऋण प्राप्ति के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने हेतु सहायता केवल तभी की जाएगी जब परियोजना को नाबार्ड की सहायक संस्थाओं द्वारा मंजूरी दी गई हो. पात्र अनुदान राशि कुल परियोजना लागत की 0.5% होगी जोकि ऋण राशि के 20% समग्र सीमा के भीतर अधिकतम रु.1.00 लाख के अधीन होगी.

Support for preparation of Detailed Project Report (DPR) for availing loan, only in case the project is to be sanctioned by the subsidiaries of NABARD. The eligible grant amount will be 0.5% of the total project cost, subject to a maximum of Rs. 1.00 lakh, within the overall cap of 20% of loan amount.

### (ii) पीओ के प्रशासनिक लागत / Administrative Cost of PO

पीओ जो पात्र ऋणदात्री संस्थाओं से सीधे ऋण सुविधा का लाभ उठाते हैं और जिन्हें किसी भी पीओपीआई या पीओपीआई जो कॉर्पोरेट के सीएसआर विंग/ विकास प्रतिष्ठान नहीं है, की सहायता प्राप्त नहीं है उन्हें 20% (पात्र

अनुदान सहायता की मात्रा, पैरा 5.1 में विवरण) के ओवरऑल कैप के भीतर पीओ की प्रशासनिक लागत के लिए अनुदान के रूप में ऋण राशि का अधिकतम 5% माना जा सकता है। यह सुविधा उन पीओ के लिए उपलब्ध है जो 5 वर्ष से कम पुराने हैं (पंजीकरण की तिथि से)। ऐसे मामले में जहां पीओ 5 वर्ष से अधिक पुराना हो तो 20% की ओवरऑल कैप के भीतर ऋण राशि अधिकतम 2.5% तक सीमित होगी।

The POs which directly avail credit facility from the eligible lending institutions and without having support of any POPI or POPI is not a CSR Wing/Development Foundation of a corporate), may be considered a maximum of 5% of the loan amount within the overall cap of 20% (quantum of eligible grant assistance, details at para 5.1), as grant towards administrative cost of the PO. This facility is available to POs which are less than 5 years old (from the date of registration). In case the PO is more than 5 years old, the amount would be restricted to a maximum of 2.5% of the loan amount, within the overall cap of 20%.

अन्य शर्तें:

Other conditions are:

क) प्रशासनिक लागत के लिए सहायता केवल तभी बढ़ाई जाएगी जब यह पाया जाता है कि पीओ प्रारंभिक चरण के लिए प्रशासनिक लागत का पूंजीकृत/ कार्यशील पूंजी का एक हिस्सा बनाए जाने के कारण व्यवहार्यता समस्या का सामना कर रहा हो और यदि इसे उचित वित्तीय विश्लेषण के साथ ऋण एजेंसी के मंजूरी ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उचित ठहराया गया हो।

a) Support towards administrative cost will be extended only if it is found that the PO is facing viability problem as the administrative cost for the initial phase capitalized/ made a part of working capital and if the same is clearly justified in the sanction memorandum by the lending agency with proper financial analysis.

ख) प्रशासनिक लागत के लिए अनुदान सीधे पीओ को जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में पीओपीआई के लिए अलग से प्रोत्साहन उपलब्ध नहीं होगा (विवरण नीचे पैरा (iii) में दिया गया है)।

b) Grant towards administrative cost would be released directly to the PO. In such cases, separate incentive to POPI will not be available (details at para (iii) below).

ग) प्रशासनिक सहायता के तहत मंजूर अनुदान राशि का 20% अग्रिम के रूप में जारी किया जाएगा। तथापि, 60% उपयुक्त किशतों में जारी किया जाएगा और शेष 20% चुकौती अवधि के अंत में ऋण की संतोषजनक वसूली के बाद दिया जाएगा।

c) 20% of the grant amount sanctioned under administrative support will be released as advance. Thereafter, 60% would be released in suitable instalments and the balance 20% will be given after satisfactory recovery of loan at the end of repayment period.

**(iii) पीओपीआई की पहल/ Incentive to POPI**

निम्नलिखित दिशानिर्देशों के अनुसार पीओपीआई ( कॉर्पोरेट के अलावा ) को केवल मामला दर मामला आधार पर आवश्यकता आधारित प्रोत्साहन दिया जा सकता है जैसा कि 1.3 (iii) (बी) में दर्शाया गया है, यदि पीओ की प्रशासनिक लागत के लिए अनुदान सहायता पर विचार किया जाता है तो पीओपीआई के लिए किसी प्रकार के प्रोत्साहन पर विचार नहीं किया जाएगा.

Need-based incentive may be extended to the POPI (other than corporates), purely on a case to case basis, as per the following guidelines. As indicated at 1.3 (iii) (b), if grant assistance is considered towards administrative cost of PO, no incentive to POPI would be considered.

क) मंजूर ऋण राशि का अधिकतम 5% (5 वर्ष से कम पुराने पीओ के लिए) और ऋण राशि की 20%की समग्र सीमा के भीतर मंजूर ऋण राशि के अधिकतम 2.5% (5 वर्ष से अधिक पुराने पीओ के लिए) को पीओपीआई के लिए प्रोत्साहन के रूप में माना जा सकता है. यह सहायता केवल तभी दी जाएगी जब यह पाया जाता है कि पीओ प्रारंभिक चरण हेतु प्रशासनिक लागत का वहन/ व्यय करके पूंजीकृत या कार्यशील पूंजी का एक हिस्सा बना कर अपने प्रयासों के लिए पीओपीआई (कॉर्पोरेट के सीएसआर विंग/ विकास प्रतिष्ठान के अलावा, जो अन्यथा पीओपीआई के रूप में पात्र हैं) की क्षतिपूर्ति करने में सक्षम नहीं है.

a) A maximum of 5% of loan amount sanctioned (for PO less than 5 years old) and a maximum of 2.5% of sanctioned loan amount (for PO more than 5 years old), within the overall cap of 20% of loan amount, may be considered as incentive to the POPI. This support would be extended only if it is found that the PO is not able to compensate the POPI (other than CSR Wings / Development Foundations of Corporates, which are otherwise eligible as POPIs) for its efforts by bearing / incurring the administrative cost for the initial phase capitalized or made a part of working capital.

ख) प्रोत्साहन का 10% अग्रिम के रूप में जारी किया जाएगा, 70% ऋण चुकौती की प्रत्येक किश्त के साथ (अंतिम किश्त को छोड़कर) समान किश्तों में जारी किया जाएगा और शेष 20% अंतिम किश्त/ पूर्ण चुकौती के भुगतान के बाद जारी किया जाएगा.

b) 10% of the incentive will be released as advance, 70% would be released in equal instalments linked with each installment of loan repayment (excluding last installment) and the balance 20% after payment of last installment/full repayment.

ग) उचित वित्तीय विश्लेषण के साथ ऋणदात्री एजेंसी द्वारा अनुदान सहायता की आवश्यकता को मंजूरी ज्ञापन में स्पष्ट रूप से उचित ठहराया जा सकता है.

c) The need for grant support may be clearly justified in the sanction memorandum by the lending agency with proper financial analysis.

घ) जहाँ पीओपीआई को प्रोत्साहन दिया जाएगा वहाँ पीओ को प्रशासनिक लागत के रूप में अनुदान सहायता उपलब्ध नहीं होगी.

d) Wherever incentive is given to the POPI, grant support towards administrative cost to the PO would not be available.

## **2 पैक्स/ पीसीएआरडीबी को एमएससी के रूप में अनुदान सहायता/ Grant Support to PACSs/ PCARDBs as MSCs**

### **2.1 पात्र गतिविधियाँ/ Eligible Activities**

निम्नलिखित गतिविधियों को अनुदान घटक से सहायता प्रदान की जा सकती है:

The following activities may be supported from the grant component:

i. ज्ञान प्रसार केंद्र- एक पीसी की लागत (आवश्यकता आधारित).

Knowledge dissemination center – cost of one PC (need-based).

ii. नई व्यापार गतिविधियों को शुरू करने हेतु प्रारंभिक प्रशासनिक लागत अर्थात् 12 माह तक की प्रारंभिक अवधि के लिए सेवाओं में लगे अतिरिक्त स्टाफ (अधिकतम 2 स्टाफ) के वेतन के 50% की प्रतिपूर्ति.

Initial administrative cost to start new business activities, i.e. reimbursing 50% of the salary of the additional staff engaged for the initial period up to 12 months (maximum 2 staff).

iii. किसानों के लिए गतिविधि विशिष्ट प्रशिक्षण, यदि आवश्यकता हो.

Activity specific training to farmers, if required.

**2.2** यदि किसी राज्य सहकारी बैंक या जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक को ऋण मंजूर किया जाता है, तो संबंधित बैंक अनुदान की समग्र सीमा (ऋण राशि का 10%, कृपया नीचे पैरा 5.2 देखें) के भीतर अनुदान घटक से 2% तक सेवा प्रभार लगा सकता है.

In case the loan is sanctioned to a State Cooperative Bank or a District Central Cooperative Bank, the concerned bank can factor service charges up to 2% from the grant component within overall limit (10% of the loan amount, please refer para 5.2 below) of the grant.

**2.3** अच्छी कृषि पद्धतियों, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, फसल विविधिकरण, आदि को अपनाने हेतु किसानों के लिए अन्य आवश्यकता-आधारित प्रशिक्षणों को, एफ़एसपीएफ़ जैसी अन्य मौजूदा निधियों से या नाबार्ड के अन्य प्रासंगिक विकासात्मक/ संवर्धनात्मक कार्यक्रमों के तहत सहायता प्रदान की जा सकती है.

Other need-based trainings to the farmers for adopting Good Agricultural Practices, technology transfer, crop diversification, etc. may be supported from the other existing funds like FSPF or under other relevant developmental/ promotional programmes of NABARD.